स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय

जलेसर रोड, दौलतपुर, फिरोजाबाद।
https://www.asmcfirozabad.edu.in E-mail- gmcfirozabad@gmail.com

संख्या– एफजैडडी/2022/1490 दिनांक– 02 सितम्बर, 2022

सेवायोजन विज्ञप्ति

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद में आचार्य, सह–आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों को वाक–इन–इन्टरव्यू (Walk-In-Interview) पद्धति से **(संविदा)** के आधार पर भरे जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है । पदों की संख्या निम्नवत् है –

क्र0स0	**विशिष्टता का नाम**	**आचार्य**	**सह–आचार्य**	**सहायक आचार्य**
1.	सामान्य मेडिसिन	1 सामान्य	–	–
2.	फार्माकोलॉजी	1 अन्य पिछडा वर्ग	–	–
3.	पैथोलॉजी	–	1 अनुसूचित जाति	–
4.	फोरेन्सिक मेडिसिन	–	–	1 सामान्य
5.	कम्युनिटी मेडिसिन	–	1 अन्य पिछडा वर्ग	1 अन्य पिछडा वर्ग*
6.	चर्म एवं गुप्त रोग	–	–	1 अनुसूचित जाति
7.	सामान्य सर्जरी	–	1 अन्य पिछडा वर्ग	–
8.	स्त्री एवं प्रसूति रोग	1 सामान्य	–	1 अन्य पिछडा वर्ग
9.	एनेस्थिसिया	–	1 सामान्य	–
10.	रेडियोडायग्नोसिस	1 अनुसूचित जाति	1 अनुसूचित जाति	1 अन्य पिछडा वर्ग
	कुल–	**04**	**05**	**05**

***Epidemiologist cum assistant professor**

अर्हताएं एवं वेतनमानः– As per NMC/MCI Norms,

1. संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्य को शासनादेश संख्या–104/2016/5044(1)271–1–2019–जी–63/2008 दिनांक 21.12.2019 के अनुसार नियत वेतन रू0 135000/– सह–आचार्य को नियत वेतन रू0 120000/– एवं सहायक आचार्य का नियत वेतन रू0 90000/–प्रतिमाह है । वेतन के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा । भासकीय पत्र संख्या 250/2018/4067/ 71–1–2017 जी–63/2008, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊ, दिनांक 20 सितम्बर, 2018 के द्वारा राजकीय चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाओं के सेवानिवृत्त आचार्य को संविदा के आधार पर आचार्य के पद पर नियुक्ति करने हेतु निर्गत शर्ते के अधीन नियत वेतन रू 220000/–प्रतिमाह दिया जायेगा । सेवा शर्ते विषयक विवरण महानिदेशालय एवं कालेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। आवेदक को Medical Council of India, Minimum, Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1999 द्वारा निर्धारित शैक्षिक आर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है। इसेक अतिरिक्त चयनित अभ्यार्थी अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते, बोनस एवं पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नही होगा।
2. **(विज्ञाप्ति विशिष्टता में):**– आचार्य के रिक्त पदों के सापेक्ष आचार्य को अनुपलब्धता में सह–आचार्य एवं सहायक आचार्य आवेदन कर सकते है एवं सह–आचार्य के रिक्त पदों के सापेक्ष सह–आचार्य की अनुपलब्धता में सहायक आचार्य आवेदन कर सकते है।
3. चिकित्सा शिक्षक को पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु 70 वर्ष से कम आयु सीमा के अभ्यर्थी अभ्यर्थन कर सकते है
4. एम0सी0आई0 नई दिल्ली द्वारा सहायक – आचार्य पद के लिये 01 का एस0आर0 का अनुभव होना अनिवार्य होगा । ओ0पी0डी0 के दिन प्राईवेट प्रैक्टिस नही करेगें ।
5. प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राईवेट प्रैक्टिस करने का स्थान निर्दिष्ट करना होगा ।
6. कोई भी चिकित्सा शिक्षक मरीजो को प्राईवेट में देखने के लिये बाध्य नहीं करेगा ।
7. प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिये हमेशा उपलब्ध रहना होगा ।
8. उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे ।
9. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की नियमित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर अथवा तत्काल भी समाप्त की जा सकती है ।
10. चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष का होगा । एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात नियमित शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी सन्तोषजनक सेवा के आधार पर सेवाकाल सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त पुनः बढाया जा सकेगा।

संविदा पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षकों के लिये आवश्यक होगा कि करार के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें ।

12. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिये किसी भी प्रकार के पेंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नही होगा । उसे ऐसे कालावधि के लिये बोनस देय नही होगा ।

13. चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिये हकदार नहीं होगा।

14. संविदा आधरित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष और किसी भी समय एक माह की सुचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकी है ।

15. संविदा पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्त ऐसी होगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जाये । संविदा पर कार्यरत चिकित्सा, शिक्षक द्वारा अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नही करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।

16. साक्षाकात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगें कि उनके विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।

17. संविदा पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षकों का स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।

18. पदों की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है।

19. इच्छुक अभ्यर्थी **दिनांक–20.09.2022 (मंगलवार)** को एवं तदोपरान्त प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित हो सकते है।

प्रधानाचार्या,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय
फिरोजाबाद

Principal
Autonomous State Medical College
Firozabad